डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]　　　रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2001—आश्विन 25, शक 1923

आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक डी-3261/2001/आजाक　　　रायपुर, दिनांक 17-10-2001

गुरु घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुरस्कार नियम, 2001

छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, प्रदेश के महान संत गुरु घासीदास की स्मृति में प्रादेशिक स्तर का पुरस्कार स्थापित करते हुए उसके विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है :—

1. **शीर्षक :**—ये नियम छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुरस्कार नियम 2001 कहलाएंगे और राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील माने जायेंगे.

2. **विस्तार क्षेत्र :**—नियमों का विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ रहेगा.

3. **पुरस्कार का स्वरूप :**— योजना के अंतर्गत पुरस्कार दो लाख रुपये का होगा जो प्रशस्ति पट्टिका सहित सामान्यत: हर वर्ष छत्तीसगढ़ के ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों अथवा स्वैच्छिक संस्था को सामान्यत: (विशेष समारोह में) प्रदान किया जायेगा, जिसने सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्ग के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो. पुरस्कार की जूरी (निर्णायक मंडल) की अनुशंसा के आधार पर पुरस्कार की नगद राशि अपवाद रूप में दो व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के मध्य विभाजित हो सकती है. यह पुरस्कार दो से ज्यादा व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में विभाजित नहीं होगा.

4. **उद्देश्य** :—प्रादेशिक स्तर पर सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकाल से सक्रिय व्यक्तियों अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं को सतत् रूप में परिणाम मूलक ढंग से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके उल्लेखनीय सेवा कार्य को शासन की ओर से सम्मानित कर मान्यता तथा संबल प्रदान करना एवं अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों को भी इस क्षेत्र में काम करने हेतु प्रेरित करना, जिससे प्रदेश एवं समाज में दलित वर्गों के उत्थान के साथ सामाजिक चेतना हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके.

5. **चयन के मापदण्ड** :—पुरस्कार के लिए चयन हेतु निम्नांकित मापदण्ड रहेंगे :—

1. पुरस्कार के लिए जूरी द्वारा छत्तीसगढ़ में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा छत्तीसगढ़ के दलितों के उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकाल से संलग्न प्रदेश की ऐसी स्वैच्छिक संस्था अथवा व्यक्ति का चयन किया जायेगा, जिसका पिछला कार्य उत्कृष्ट रहा है और जो वर्तमान में भी इस क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है.

2. ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति की प्रविष्टि पर विचार नहीं होगा जिसका कोई पदाधिकारी उस वर्ष के पुरस्कार की जूरी का सदस्य हो.

3. सामाजिक चेतना जागृत करने एवं दलितों के लिए पूर्व में कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त संस्था/व्यक्ति भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसी संस्था या व्यक्ति समस्त अर्हताओं की पूर्ति करते हैं.

4. छत्तीसगढ़ शासन से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था भी पात्र होगी, किन्तु सहायक अनुदान के दुरूपयोग की दोषी संस्था पात्र नहीं होगी.

5. पुरस्कार के लिए संस्था/व्यक्ति के भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के कार्य का आंकलन होगा.

6. संस्था/व्यक्ति को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत होने पर कि उसने सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकालीन कार्य किया है और वह अब भी इस दिशा में सक्रिय है अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक कार्य के आधार पर नहीं मिलेगा उसके लिए कार्य की परिणाम मूलक निरंतरता आवश्यक है.

7. संस्था/व्यक्ति के योगदान का संबंधित कार्यक्षेत्र एवं दलित लोगों के जीवन में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए.

8. परम्परागत तौर-तरीकों से अलग हटकर नवाचार अर्थात् नई पद्धति/नए क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

9. जूरी अथवा उसके द्वारा किसी अधिकृत सदस्य अथवा व्यक्ति द्वारा संस्था/व्यक्ति की समस्त गतिविधियों का प्रत्यक्ष आंकलन करने हेतु व्यक्ति/संस्था को लिखित सहमति देनी होगी, तथा

10. सर्वथा निर्विवाद एवं समुचित प्रमाणों से परिपुष्ट उत्थान कार्य पर ही जूरी द्वारा विचार होगा. संस्था/व्यक्ति के निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का ताजा प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त माना जायेगा.

6. **जूरी का गठन एवं उसकी शक्तियां** :—पुरस्कार के लिए संस्था/व्यक्ति के चयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए जूरी के रूप में एक पेनल गठित किया जायेगा तत्संबंधी अन्य प्रावधान निम्नानुसार होंगे :—

1. जूरी में न्यूनतम तीन और अधिकतम पांच सदस्य निम्नानुसार होंगे :—

    1. उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश.
    2. लोक सेवा आयोग के अवकाश प्राप्त सदस्य.
    3. राज्य शासन का एक प्रतिनिधि.
    4. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर या घासीदास वि. वि. बिलासपुर का कुलपति.
    5. प्रतिष्ठित समाजसेवी.

2. समाज के विभिन्न कार्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात व्यक्ति जूरी के सदस्य होंगे.

3. जूरी द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा.

4. जूरी केवल आवश्यक प्रमाणों सहित प्राप्त प्रविष्टियों पर ही विचार करेगी.

5. सामान्यत: पुरस्कार के लिए एक संस्था/व्यक्ति का ही चयन होगा. किन्तु जूरी आवश्यक मानेगी तो वह पुरस्कार के लिए दो संस्थाओं/व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगी और तद्नुसार उन्हें पुरस्कार की नगद राशि समनाबाद (द्विभाजित) कर प्रदान की जायेगी.

6. जूरी के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समान रेलगाड़ी/वायुयान से यात्रा करने और यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा. बैठक के दिनों में वे राज्य अतिथि माने जायेंगे.

7. **चयन की प्रक्रिया** :—पुरस्कारों के लिए उपुयक्त संस्था/संस्थाओं, व्यक्ति/व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

1. जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए जानकारी/प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु माह जून में प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्र/पत्रिकाओं में राज्य शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण की ओर से आयुक्त, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (छ. ग.) द्वारा परिशिष्ट में दर्शित प्रारूप में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा.

2. जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जायेगा. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त जानकारियां विचार के लिए मान्य नहीं होगी.

3. प्रविष्टि/जानकारी राज्य शासन की निम्नांकित अपेक्षाओं की संपूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जायेगी :—

   1. संस्था/व्यक्ति का पूर्ण परिचय.

   2. सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी.

   3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण.

   4. उसके उत्कृष्ट कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया हो तो उसका विवरण तथा प्रकाशित प्रत्येक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति.

   5. सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात व्यक्तियों एवं पत्र-पत्रिकाओं आदि द्वारा की गई टिप्पणियों की फोटो प्रतियां/सत्य प्रतिलिपियां.

   6. संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का ताजा प्रमाण-पत्र.

   7. जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था/व्यक्ति के कार्यों के प्रत्यक्ष आंकलन के संबंध में सहमति, तथा

   8. चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में सहमति.

4. चयन के लिए कंडिका-5 में उल्लेखित मानदण्डों के अलावा कोई शर्तें लागू नहीं होगी. इन मानदण्डों की संपूर्ति करने वाली ऐसी संस्था/व्यक्ति भी विचाराधीन वर्ष के पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेगी, जिसने विगत वर्षों में प्रविष्टि भेजी थी, किन्तु जिसका चयन नहीं हो पाया था.

5. प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं होगी.

6. प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा.

7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जायेगा :—

प्रपत्र

पंजीयन क्रमांक	संस्था/व्यक्ति का नाम एवं पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का नाम एवं संस्था में पदेन स्थिति	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

8. पंजीयन के पश्चात् आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान शाखा द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में जूरी की बैठक के लिए संक्षेपिका अधिकतम 15 दिवस की समयावधि में तैयार कर शासन को प्रस्तुत की जायेगी—

1. संस्था/व्यक्ति का नाम एवं पता.

2. व्यक्ति/संस्था की ओर से प्रस्तावक का नाम एवं पद.

3. व्यक्ति/संस्था का संक्षिप्त परिचय.

4. सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान हेतु किए गए कार्य की विस्तृत उपलब्धियां.

5. प्राप्त पुरस्कार.

6. प्रमाण/सम्मतियां.

7. संस्था/व्यक्ति के बारे में प्रकाशन.

8. निरंतर एवं निर्विवाद होने बाबत् प्रमाण-पत्र भेजा है या नहीं.

9. पुरस्कार ग्रहण करने बाबत् सहमति भेजी है अथवा नहीं.

8. **पुरस्कारों की घोषणा** :—जूरी द्वारा जिस संस्था/व्यक्ति का चयन होगा उससे पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में राज्य शासन द्वारा औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात् शासन द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित संस्था/व्यक्ति के नाम की औपचारिक घोषणा की जायेगी.

9. **पुरस्कार वितरण समारोह** :—राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह शासन द्वारा निश्चित स्थान एवं निश्चित तिथि को आयोजित होगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति/संस्था के एक पदाधिकारी एवं जूरी के सदस्यों को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा. व्यक्ति/संस्था के पदाधिकारी को यात्रा व्यय स्वयं वहन करना होगा.

10. **व्यय की संपूर्ति एवं वित्तीय शक्तियां** :—पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की संपूर्ति के लिए आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (छ. ग.) के बजट में हर वर्ष समुचित वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा और स्वीकृत पदों पर उसके व्यय के पूर्ण अधिकार आयुक्त, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रायपुर (छ. ग.) को रहेंगे.

11. **नियमों की व्याख्या** : इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (छ.ग.) की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जायेगी तथा इस पुरस्कार के संबंध में अन्य ऐसे मामले भी, जो कि इन नियमों में समाहित नहीं है, उन्हीं के द्वारा अंतिम रूप में निराकृत होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2001—आश्विन 25, शक 1923

आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक डी-3262/2001/आजाक रायपुर, दिनांक 17-10-2001

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार नियम-वर्ष 2001

छत्तीसगढ़ में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में प्रादेशिक स्तर का पुरस्कार करते हुए उसके विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है :—

1. **शीर्षक** :—ये नियम छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार नियम कहलायेंगे और राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील माने जायेंगे.

2. **विस्तार क्षेत्र** :—नियमों का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ रहेगा.

3. **पुरस्कार का स्वरूप** :—उक्त पुरस्कार के अंतर्गत रुपये 2.00 लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पट्टिका दी जावेगी. पुरस्कार के नगद राशि दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्था के मध्य में विभाजित की जा सकती हैं.

4.. **उद्देश्य** :—प्रादेशिक स्तर पर आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकाल से सक्रिय व्यक्तियों अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं को सतत् रूप में परिणाम मूलक ढंग से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके उल्लेखनीय सेवा कार्य को शासन की ओर से सम्मानित कर मान्यता तथा संबल प्रदान करना एवं अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों को भी इस क्षेत्र में काम करने हेतु प्रेरित करना, जिससे प्रदेश एवं समाज में आदिवासी वर्गों के उत्थान के साथ सामाजिक चेतना हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके.

5. **चयन का मापदण्ड** :— पुरस्कार के लिये चयन हेतु निम्नांकित मापदण्ड रहेंगे :—

1. पुरस्कार के लिये जूरी द्वारा छत्तीसगढ़ में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकाल से संलग्न प्रदेश की ऐसी स्वैच्छिक संस्था अथवा व्यक्ति का चयन किया जावेगा, जिसका पिछला कार्य उत्कृष्ट रहा है और जो वर्तमान में भी उस क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं.

2. ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति की प्रविष्टि पर विचार नहीं होगा, जिसका कोई पदाधिकारी उस वर्ष के पुरस्कार की जूरी का सदस्य हो.

3. सामाजिक चेतना जागृत करने एवं उनके उत्थान के लिये पूर्व में कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त संस्था/व्यक्ति भी इस पुरस्कार के लिये पात्र होगा बशर्ते ऐसी संस्था या व्यक्ति समस्त अर्हताओं की पूर्ति करती हैं.

4. छत्तीसगढ़ शासन से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था भी पात्र होगी, किन्तु सहायक अनुदान के दुरूपयोग की दोषी संस्था पात्र नहीं होगी.

5. पुरस्कार के लिये संस्था/व्यक्ति के भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के कार्य का आंकलन होगा.

6. संस्था/व्यक्ति की इस बात का प्रमाण प्रस्तुत होने पर कि उसने आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकालीन कार्य किया है और वह अब इस दिशा में सक्रिय है, अर्थात पुरस्कार केवल भूतकालिक कार्य के आधार पर नहीं मिलेगा, उसके लिये कार्य की परिणाम मूलक निरंतरता आवश्यक हैं.

7. संस्था/व्यक्ति के योगदान का संबंधित कार्यक्षेत्र आदिवासियों के जीवन में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए.

8. परम्परागत तौर-तरीकों से अलग हटकर नवाचार अर्थात् नई पद्धति, नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है यह स्पष्ट परिलक्षित होना चाहिए.

9. जूरी अथवा उसके द्वारा किसी अधिकृत सदस्य अथवा व्यक्ति द्वारा संस्था/व्यक्ति की समस्त गतिविधियों का प्रत्यक्ष आंकलन करने हेतु व्यक्ति/संस्था को लिखित सहमति देनी होगी.

10. सर्वथा निर्विवाद एवं समुचित प्रमाणों में परिपुष्ट उत्थान कार्य पर ही जूरी द्वारा विचार होगा. संस्था/व्यक्ति के निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का ताजा प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त माना जायेगा.

6. **जूरी का गठन एवं उसकी शक्तियां** :—पुरस्कार के लिए संस्था/व्यक्ति के चयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए जूरी के रूप में एक पेनल गठित किया जायेगा, तत्संबंधी अन्य प्रावधान निम्नानुसार होंगे :—

1. जूरी में न्यूनतम 5 व अधिकतम 8 सदस्य होंगे जो राज्य शासन द्वारा मनोनित किये जावेंगे. जूरी में न्यूनतम 3 शासकीय तथा 3 अशासकीय सदस्य होंगे जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होंगे.

2. जूरी द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा.

3. सामान्यत: पुरस्कार के लिए एक संस्था/व्यक्ति का ही चयन होगा किन्तु जूरी आवश्यक मानेगी तो वह पुरस्कार के लिए दो संस्थाओं/व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगी और तद्नुसार उन्हें पुरस्कार की नगद राशि समनावाद (द्विभाजित) कर प्रदान की जावगी.

4. जूरी के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समान रेलगाड़ी/वायुयान से यात्रा करने और यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा. बैठक के दिनों में वे राज्य अतिथि माने जायेंगे.

7. **चयन की प्रक्रिया** :—पुरस्कार के लिए उपयुक्त संस्था/संस्थाओं, व्यक्ति/व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

1. जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए जानकारी/प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु माह जून में प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार पत्र/पत्रिकाओं में राज्य शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा परिशिष्ट में दर्शित प्रारूप में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा.

2. जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जायेगा. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त जानकारियां विचार के लिए मान्य नहीं होगी.

3. प्रविष्टि/जानकारी राज्य शासन की निम्नांकित अपेक्षाओं की संपूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जायेगी :—

   1. संस्था/व्यक्ति का पूर्ण परिचय.

   2. आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में किये गए कार्यों की विस्तृत जानकारी.

   3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण.

   4. उसके उत्कृष्ट कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया हो तो उसका विवरण तथा प्रकाशित प्रत्येक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति.

   5. आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात व्यक्तियों एवं पत्र-पत्रिकाओं आदि द्वारा की गई टिप्पणियों की फोटो प्रतियां/सत्य प्रतियां.

   6. संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का ताजा प्रमाण-पत्र.

   7. जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था/व्यक्ति के कार्यों के प्रत्यक्ष आंकलन के संबंध में सहमति.

   8. चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में सहमति.

4. चयन के लिये कंडिका-5 में उल्लेखित मापदण्डों के अलावा कोई शर्तें लागू नहीं होगी. इन मानदण्डों की संपूर्ति करने वाली ऐसी संस्था/व्यक्ति भी विचाराधीन वर्ष के पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेगी, जिसने विगत वर्षों में प्रविष्टि भेजी थी, किन्तु चयन नहीं हो पाया था.

5. प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं होगी.

6. प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा.

7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जायेगा :—

पंजीयन क्रमांक	संस्था/व्यक्ति का नाम एवं पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का नाम एवं संस्था में पदेन स्थिति	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

8. पंजीयन के पश्चात् आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में जूरी की बैठक के लिए संक्षेपिका अधिकतम 15 दिवस की समयावधि में तैयार कर शासन को प्रस्तुत की जावेगी :—

1. संस्था/व्यक्ति का नाम एवं पता.

2. संस्था की ओर से प्रस्तावक का नाम एवं पद.

3. संस्था का संक्षिप्त परिचय.

4. आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में किए गए कार्य की विस्तृत उपलब्धियां.

5. प्राप्त पुरस्कार.

6. प्रमाण/सम्मतियां.

7. संस्था/व्यक्ति के बारे में प्रकाशन.

8. निरंतर एवं निर्विवाद होने बाबत् प्रमाण-पत्र भेजा है या नहीं.

9. पुरस्कार ग्रहण करने बाबत् सहमति भेजी है अथवा नहीं.

8. **पुरस्कार की घोषणा** :—जूरी द्वारा जिस संस्था/व्यक्ति का चयन होगा उससे पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में राज्य शासन द्वारा औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात् शासन द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित संस्था/व्यक्ति के नाम की औपचारिक घोषणा की जायेगी.

9. **पुरस्कार वितरण समारोह** :—राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह शासन द्वारा निश्चित स्थान एवं निश्चित तिथि को आयोजित होगा. पुरस्कार हेतु चयनित व्यक्ति/संस्था के पदाधिकारी एवं जूरी के सदस्यों को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा. व्यक्ति/संस्था के पदाधिकारी को यात्रा व्यय स्वयं वहन करना होगा.

10. **व्यय की संपूर्ति एवं वित्तीय शक्तियां** :—पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की संपूर्ति के लिए आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में प्रतिवर्ष समुचित वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा और स्वीकृत पदों पर उसके व्यय के पूर्ण अधिकार आयुक्त, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, रायपुर को होंगे.

11. **नियमों की व्याख्या** :—इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जायेगी तथा इस पुरस्कार के संबंध में अन्य ऐसे मामले भी, जो कि इन नियमों में समाहित नहीं हैं, उन्हीं के द्वारा अंतिम रूप में निराकृत होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001